

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.18(38)नविवि/जयपुर/2017पार्ट

जयपुर, दिनांक 2 MAY 2020

आदेश

विभागीय समंसारख्यक आदेश दिनांक 22.02.2018 द्वारा बैटरमेंट लेवी 4 छःमाही किशतों में लिए जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी। कोविड-19 के मध्येनजर सक्षम स्तर से लिए गये निर्णय अनुसार बैटरमेंट लेवी 5-नौ-माही किशतों में निम्न प्रकार ली जावें।

क्र.स.	विवरण	प्रतिशत	समयावधि
1.	प्रथम किशत	बैटरमेंट लेवी का 20%	भवन मानचित्र स्वीकृति से एक वर्ष
2.	द्वितीय किशत	बैटरमेंट लेवी का 20%	भवन मानचित्र स्वीकृति से एक वर्ष नौ माह
3.	तृतीय किशत	बैटरमेंट लेवी का 20%	भवन मानचित्र स्वीकृति से दो वर्ष छः माह
4.	चतुर्थ किशत	बैटरमेंट लेवी का 20%	भवन मानचित्र स्वीकृति से तीन वर्ष तीन माह
5.	पंचम किशत	बैटरमेंट लेवी का 20%	भवन मानचित्र स्वीकृति से चार वर्ष

किशतों की राशि के उत्तर दिनांकित चैक (Post Dated Cheque) लेकर ही मानचित्र स्वीकृति किये जावें। उत्तर दिनांक चैक अस्वीकार (Dishonour) होने पर चैक अस्वीकृत होने की दिनांक (विलम्बित अवधि) से नियमानुसार ब्याज देय होगा साथ ही परक्राम्य लिखित अधिनियम (Negotiable Instrument Act) के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)  
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
7. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य नगर नियोजक(एन.सी.आर)।
9. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त), राजस्थान।
10. वरिष्ठ उपशासन सचिव, नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम